मोर मकान-मोर आस घटक के अंतर्गत किराएदारी में निवासरत हितग्राहियों के लिए निगम के विभिन्न क्षेत्रों में, 2465 आवास आबंटन के लिए उपलब्ध, भिलाई निगम ने बढ़ाई आवेदन की तिथि अब 14 अक्टूबर तक प्राप्त कर सकते हैं आवेदन

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मोर मकान मोर आस घटक के अंतर्गत किराएदारी में निवासरत हितग्राहियों के लिए निगम के विभिन्न स्थलों में 2465 आवास आबंटन के लिए उपलब्ध है। आबंटन के लिए पंजीयन आवेदन कार्यालयीन समय में 14 अक्टूबर 2022 शाम 5:00 बजे तक नगर पालिक निगम भिलाई कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 योजना शाखा में 100 रुपए का नगद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। पात्रता से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज संलग्न कर आवेदन 27 अक्टूबर 2022 तक नगर पालिक निगम भिलाई के कक्ष क्रमांक 16 योजना शाखा में जमा करना होगा। उल्लेखनीय है कि योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने आवेदन की तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है। 2465 आवासों में शासन के निर्देश अनुसार तृतीय लिंग समुदाय , दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य हेतु शासन के नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर भूतल में लॉटरी द्वारा आबंटन की कार्यवाही की जाएगी। व्यवस्थापन प्रकरण को प्राथमिकता से लॉटरी के द्वारा आबंटन उपरांत किरायेदारी में निवासरत परिवारों के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्रता अनुसार आबंटन की कार्यवाही किया जाएगा। भविष्य में प्रोजेक्ट के लागत राशि में वृद्धि होने पर प्रति आवास हितग्राही अनुदान की राशि में भी वृद्धि होगी जिसको सभी हितग्राहियों को समान रूप से अधिपत्य के पूर्व जमा करना होगा। प्राप्त आवेदन से पात्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसकी जानकारी सूचना पटल पर मुख्य कार्यालय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना मदर टैरेसा नगर कार्यालय में चस्पा किया जाएगा। चस्पा करने के बाद दावा , आपत्ति आमंत्रित की जाएगी दावा , आपत्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी दावा आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि में अवकाश होने पर अगली तिथि नियत रहेगी। किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को होगा। पात्र हितग्राहियों को लॉटरी के द्वारा आबंटन की सूचना पत्र के माध्यम से पृथक से जानकारी दी जाएगी एवं अन्य माध्यमों से भी उन्हें जानकारी मिल सकेगा।